

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र

अपील संख्या. 40/19

तारीख रज्जू— 16.09.19

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ जाट उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी टापुर तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
—रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 9, 10, 2020

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 433/15 में पारित निर्णय दिनांक 16/10/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम टापुर के आराजी ख0न0 754,755 रकबा 0.67 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। उक्त वाद आरजीयात पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त वाद आरजीयात के संबंध में पटवारी हल्का टापुर को सीमाज्ञान करवाने हेतु अवगत कराने के बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा आदिनांक तक सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अपीलार्थी काफी वृद्ध एवं बीमार है। अपीलार्थी की उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है तथा अपीलार्थी इस उम्र में काश्त करने योग्य ही नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत नोटिस जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतीचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू-अमिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशांषा की है। साथ ही पटवारी हल्का के बयान संलग्न है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है, यदि अपीलान्ट की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा जो कि पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है। मैं पेरोकार सरकार की बहस से सहमत हूं। लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की उम्र 85 वर्ष बताई गई है तथा इतने वृद्ध व्यक्ति द्वारा काश्त किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/10/2015 निरस्त किया जाता है, साथ ही उक्त निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पुनः मौका देखकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 9.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

